	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]3/23	अधिवक्तागण हड़ताल में होने के कारण पत्रावली आइन्दा दिनांक ~~15/3/23~~ 16/5/23 को पेश हो	
16/5/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप० विपक्षी वकील उप० विपक्षीगण वकील को जवाब पेश करने के अनेक अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया अतः जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं लिखित दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है अतः नियमबद्ध निर्णय अलग लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो संख्या से कम हो। [illegible signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. वाला पुत्र भूरा 2. सोहन पुत्र भूरा 3. सोहनी पत्नि सोहन 4. गोपा पुत्र भूरा 5. ढेली पत्नि गोपा जातियान–मोची, निवासी–फागलिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर	बनाम	1. रूघा पुत्र नवा 2. धर्मी पत्नि रूघा 3. अणदाराम पुत्र किरताराम 4. मेवाराम पुत्र किरताराम 5. केशाराम पुत्र किरताराम 6. मावा पुत्र नवा 7. तागा पुत्र हेमा फौत के कायम मुकाम 7/1. भमरा पुत्र तगा 7/2. भूरा पुत्र तगा 7/3. सदा पुत्र तगा 7/4. नानजी पुत्र तगा 7/5. पुनमा पुत्र तगा 7/6. मालू पत्नि तगा 8. वेरसी पुत्र हेमा जाति–कोली, निवासी–पांचरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 9. तहसीलदार सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 263/2022 दिनांक : 06/04/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के प्रार्थी संख्या 1 वालाराम पुत्र भूराराम का खसरा संख्या 259/19 रकबा 0.8094 हैक्टर व प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 सोहन पुत्र भूरा, सोहनी पत्नि सोहन का खसरा संख्या 261/19 रकबा 0.8094 हैक्टर व प्रार्थीगण संख्या 4 व 5 गोपा पुत्र भूरा, ढेली पत्नि गोपा का खसरा संख्या 260/19 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म बा.सो के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2023/545–48 दिनांक 06/04/23

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा ।
2. प्रार्थी वाला पुत्र भूरा वगैरा।
3. विप्रार्थीगण रूघा पुत्र नवा वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ।

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा